**भारत सरकार**

**खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 235**

**दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 को उत्‍तर देने के लिए**

**बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**

**235. डा. अनिल कुमार साहनी:**

**क्‍या खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** बिहार में अब तक कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए गए हैं; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

**(ख)** क्या केंद्र सरकार ने बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (डा. चरण दास महंत)**

**(क):** बिहार समेत देश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआईज) की संख्या के आंकड़े खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं । तथापि, मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान बिहार राज्य में 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वित की गई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/ आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत स्पिलओवर/लंबित देनदारियों के रूप में कई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सहायता दी थी । स्कीम के अंतर्गत 11वीं योजना के दौरान 20 यूनिटों को 388.14 लाख रुपए की अनुदान सहायता जारी की गई थी । बिहार राज्य में 12वीं योजना अर्थात 2012-13 और 2013-14 के दौरान 3 और यूनिटों को 47.02 लाख रुपए जारी किए गए हैं ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण की उपर्युक्त स्कीम को 12वीं योजना (01.04.2012 से) के दौरान राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (केंद्र प्रयोजित स्कीम) में सन्निविष्ट कर दिया गया है ।

**(ख):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना स्वयं नहीं करता है । फिर भी, देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केंद्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) को शुरू किया है । एनएमएफपी का मूल उद्देश्य स्कीमों के कार्यान्वयन का विकेन्द्रीकरण करना है जिससे राज्य सरकारों/केंद्रशासित क्षेत्रों की पर्याप्त भागीदारी होगी । राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन को मुख्य विशेषताएं है: (i) क्षेत्र की आगामी अपेक्षित वृद्धि प्रोत्साहन एवं मूल्यवृद्धि के अनुरूप मंत्रालय की अगली छलांग का अनुभव करना; (ii) विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण; (iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की महती भूमिका (iv) बेहतर आउटरीच और (v) प्रभावी पर्यवेक्षण एवं मानीटरिंग ।

 एनएमएफपी के अंतर्गत राज्‍यों/ संघ राज्‍य क्षेत्रों को निम्‍नलिखित स्‍कीमों के कार्यान्‍वयन के लिए वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराई जा रही है:-

1. खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्‍नयन/ स्‍थापना/ आधुनिकीकरण स्‍कीम ।
2. गैर-बागवानी उत्‍पाद शीत श्रृंखला, मूल्‍यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्‍कीम ।
3. बूचड़खाना स्‍थापना/ आधुनिकीकरण/ विस्‍तार स्‍कीम (2014-17 से कार्यान्वित कि‍ए जाने हेतु) ।
4. मानव संसाधन विकास स्‍कीम (एचआरडी) ।
5. खाद्य प्रसंस्‍करण प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्‍लोमा/ प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम चलाने के लिए

 अवसंरचना सुविधाओं का सृजन

1. उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)
2. खाद्य प्रसंस्‍करण प्रशिक्षण केन्‍द्र (एफपीटीसी)
3. मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थानों में प्रशिक्षण तथा संवेदनशीलता-सह-जागरूकता कार्यक्रम
4. प्रोत्‍साहन कार्यकलाप स्‍कीम
5. सेमीनार/ कार्यशालाओं का आयोजन करना
6. अध्‍ययन/ सर्वेक्षण करना
7. प्रदर्शनियों/ मेलों को सहायता देना
8. विज्ञापन एवं प्रचार

(VI) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्‍करण केन्‍द्रों/ संग्रहण केन्‍द्रों के सृजन हेतु स्‍कीम ।

(VII) मांस की दुकानों का आधुनिकीकरण ।

(VIII) रीफर वैनें ।

(IX) पुराने खाद्य पार्क ।

 मिशन के अंतर्गत सभी राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्र की सरकारों को आवेदन प्राप्त करने, पात्र लाभार्थियों को अनुदान सहायता की मंजूरी देने और अनुदान-सहायता जारी करने का अधिकार दिया गया है । राज्य सरकारों के पास स्थानीय रूप से उगाई गई कच्ची सामग्री के प्रयोग द्वारा मूल्यवृद्धि की क्षमता का उपयोग करने हेतु लाभार्थियों तथा परियोजना स्थल के चयन का अधिकार है । एनएमएफपी स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान राज्य-वार आवंटन तथा जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण **संलग्नक-I** पर दिया गया है ।

\*\*\*\*\*\*

 **संलग्‍नक-I**

**बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 235 के भाग (ख) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण ।**

**वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 (30.11.2013 तक) के दौरान एनएमएफपी के कार्यान्‍वयन के लिए राज्‍य/ संघ राज्‍य क्षेत्र-वार निधियों का आबंटन तथा राज्‍यों/ संघ राज्‍य क्षेत्रों को हस्‍तांतरित भारत सरकार के हिस्‍से को दर्शाने वाला विवरण ।**

 **(क) राज्‍य:**

 **(करोड़ रुपए)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **राज्‍य** | **भारत सरकार के हिस्‍से का आबंटन** |  **भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि**  |
| **2012-13** | **2013-14** | **2012-13** | **2013-14** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 14.24 | 11.58 | 10.68 | 0.00 |
| 2 | बिहार | 11.42 | 9.07 | 8.565 | 2.29 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 7.88 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| 4 | गोवा | 3.66 | 2.15 | 2.745 | 0.00 |
| 5 | गुजरात | 11.15 | 8.83 | 8.3625 | 0.00 |
| 6 | हरियाणा | 5.92 | 4.16 | 4.44 | 2.08 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 5.09 | 3.42 | 3.8175 | 0.00 |
| 8 | जम्मू और कश्मीर | 9.00 | 6.91 | 6.75 | 0.00 |
| 9 | झारखंड | 7.09 | 5.20 | 5.3175 | 0.00 |
| 10 | कर्नाटक | 11.11 | 8.79 | 8.3325 | 3.83 |
| 11 | केरल | 6.23 | 4.44 | 4.6725 | 0.00 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 14.27 | 11.61 | 10.7025 | 0.00 |
| 13 | महाराष्ट्र | 16.51 | 13.61 | 12.3825 | 0.79 |
| 14 | ओडिशा | 9.24 | 7.12 | 6.93 | 0.00 |
| 15 | पंजाब | 6.16 | 4.37 | 4.62 | 0.00 |
| 16 | राजस्थान | 14.77 | 12.06 | 11.0775 | 0.00 |
| 17 | तमिलनाडु | 10.40 | 8.16 | 7.80 | 0.00 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 20.03 | 16.75 | 15.0225 | 0.00 |
| 19 | उत्तराखंड | 5.23 | 3.54 | 3.9225 | 0.00 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 10.60 | 8.33 | 10.82 | 0.00 |
| **कुल** | **200.00** | **156.00** | **152.87** | **8.99** |

 **(ख) पूर्वोत्‍तर राज्‍य:**

 **(करोड़ रुपए)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **राज्‍य** | **भारत सरकार के हिस्‍से का आबंटन** | **भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि** |
| **2012-13** | **2013-14** | **2012-13** | **2013-14** |
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 4.20 | 2.70 | 3.15 | 0.00 |
| 2 | असम | 5.47 | 3.97 | 4.1025 | 0.00 |
| 3 | मणिपुर | 3.79 | 2.29 | 2.8425 | 0.00 |
| 4 | मेघालय | 3.80 | 2.30 | 2.85 | 0.00 |
| 5 | मिजोरम | 3.71 | 2.21 | 2.7825 | 0.00 |
| 6 | नागालैंड | 3.71 | 2.21 | 2.7825 | 0.00 |
| 7 | सिक्किम | 3.58 | 2.08 | 3.06 | 0.00 |
| 8 | त्रिपुरा | 3.74 | 2.24 | 2.805 | 0.00 |
|  | **कुल** | **32.00** | **20.00** | **24.375** | **0.00** |

 **(ग) संघ राज्‍य क्षेत्र:**

 **(करोड़ रुपए)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य** | **भारत सरकार के हिस्‍से का आबंटन** | **भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि** |
| **2012-13** | **2013-14** | **2012-13** | **2013-14** |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह  | 2.64 | 1.77 | 1.98 | 0.00 |
| 2 | चंडीगढ़\* | 2.28 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | दादरा और नगर हवेली\* | 2.28 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | दमन और द्वीव\* | 2.26 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | दिल्ली | 2.73 | 1.97 | 2.0475 | 0.00 |
| 6 | लक्षद्वीप | 2.25 | 1.01 | 1.6875 | 0.00 |
| 7 | पुदुच्चेरी | 2.30 | 1.11 | 1.725 | 0.00 |
|  | **कुल** | **16.74** | **9.00** | **7.44** | **0.00** |

\*संघ राज्य क्षेत्रों ने तैयारी कार्यों/अग्रिम कार्य तथा एनएमएफपी की मुख्य स्कीम के लिए निधियां प्राप्त नहीं की हैं ।

**वर्ष 2012-13 के दौरान एनएमएफपी के अंतर्गत जारी निधियों का सार:**

**(क) वर्ष 2012-13 के दौरान = रुपए 184.685 करोड़ (रुपए 152.87 करोड़+ रुपए 7.44 करोड़)**

**(ख) वर्ष 2013-14 के दौरान = रुपए 8.99 करोड़**

**\*\*\*\*\***